न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : बालकृष्ण तिवारी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 44 / 20

GCMS id : 2020 / 00067

1. युवराज पुत्र स्व. रामगोपाल
2–5. काली बाई, मनोहर बाई, भूरी बाई, सुशीला बाई पुत्रियॉं स्व. रामगोपाल जाति लोधा, निवासीगण ग्राम शंकरपुरा डडवाडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1–3. शंकर, विष्णु, हनुमान पुत्रान चौथमल
4. रामप्रसाद पुत्र स्व. श्रीकिशन
5–9. शान्ति बाई, सन्जू बाई, छोटा बाई, मडी बाई, राजकान्ता पुत्रियॉं स्व. श्रीकिशन
10. भैरूलाल पुत्र स्व. राधेश्याम
11. कान्ती बाई पुत्री स्व. कल्याण
12–14. कन्हैयालाल, मनीष, मुकेश पुत्रान स्व. राधाकिशन
15. दुर्गाशंकर पुत्र बाबूलाल
16. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बाबत विभाजन आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक : 22.03.2021

उपस्थिति : श्री रामरतन मीणा, अभिभाषक वादीगण

1- वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 188 बाबत विभाजन आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया।

2- वादीगण की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

* ग्राम शंकरापुरा, पटवार हल्का दीपपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा मे खाता सं0 नया 112 पुराना 106 मे वर्णित आराजी कल्याण, जगन्नाथ, राधाकिशन पिसरान देवा लोधा निवासी शंकरपुरा के गैर खातेदारी मे अंकित है। उपरोक्त आराजी मे स्वर्गीय कल्याण, जगन्नाथ, राधाकिशन का 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा निहित है।
* सहखातेदारान के वारिसान अपने अपने हिस्सेनुसार उपरोक्त भूमि पर काबिज है। उपरोक्त आराजी का फौती नामान्तरकरण तस्दीक नहीं हुआ है। इस कारण उपरोक्त आराजी पूर्व खातेदारान वादी एवं प्रतिवादीगण पिता के नाम ही दर्ज खाता चली आ रही है।
* उपरोक्त आराजी के संबंध में परिवार के अन्दर व आपस मे सहखातेदारान के बीच काफी वाद विवाद रहने लगा है इस कारण वादीगण जो कि स्वर्गीय जगन्नाथ के मृतक पुत्र रामगोपाल के वारिसान है का स्वर्गीय जगन्नाथ की

आराजी 1/3 हिस्से मे 1/2 हिस्सा निहित है जिसको वह प्राप्त करने व उक्त भूमि उक्तानुसार विभाजन करवाकर अपने खाते मे पृथक रूप से दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा उक्त हिस्सा आराजी मे प्रतिवादी नम्बर 1,2,3 का 1/2 हिस्सा निहित है। इस प्रकार स्वर्गीय जगन्नाथ के 1/3 हिस्से मे से वादीगण का 1/2 तथा प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा निहित है।

* वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से कई बार उक्त आराजी का विभाजन करवाने को कहा लेकिन वह इसके लिये तैयार नहीं हो रहे है तथा आये दिन टालम टूल करते है।

* मृतक खातेदार श्रीकिशन के वारिस रामप्रसाद द्वारा उक्त आराजी मे से अपने हिस्से से अधिक आराजी का बेचान दुर्गाशंकर के नाम कर दिया है, इस कारण उसे पक्षकार बनाया गया है। श्रीकिशन के 1/3 हिस्से मे प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 9 का मात्र 1/9 मे हिस्सा बनता है। अतः जो भूमि रामप्रसाद प्रति0 द्वारा बेची गई है उसके हिस्से अनुसार ही दुर्गाशंकर प्राप्त करने का अधिकारी है।

* प्रतिवादी नम्बर 15 उपरोक्त आराजी का बिना नियामानुसार आराजी का बटवारा हुये भूमि पर मनचाहे अनुसार निर्माण करने पर अमादा हो रहा है इस कारण उसके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है इस कारण उक्त वाद मे स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है।

* वाद कारण अंतिम बार दिनांक 31.08.2020 को प्रतिवादीगण से उपरोक्त आराजी का नियमानुसार विभाजन करने की कहने पर तथा उनके द्वारा इन्कार करने पर उत्पन्न हुआ जो लगातार है।

* विवादित आराजी ग्राम शंकरपुरा पटवार हल्का दीपपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा स्थित है इस कारण उक्त वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद उचित कोर्ट फीस पर अवधि मध्य पेश है।

* अतः प्रार्थना है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की निर्णय एवं डिक्री सादिर फरमायी जावे कि वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 70, 71 की कुल आराजी 0.23 हैक्टर का नियमानुसार बंटवारा किया जाकर वादीगण को उनके हिस्से आराजी का अलग खाता व लगान कायम किये जाने का तथा उक्त हिस्से मे प्राप्त भूमि पर भौतिक कब्जा दिलवाये जाने का तथा राजस्व रिकार्ड तैयार किये जाने का निर्णय एवं डिक्री सादिर फरमाई जावे। तथा वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से मे प्राप्त भूमि पर उनके कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे तथा प्रतिवादी नम्बर 15 जबरन उक्त भूमि पर किसी प्रकार की तामीर आदि करके भूमि की किस्म को तब्दील नहीं करे। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और न अपने एजेन्ट से करवाये।

* वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में ग्राम शंकरपुरा, पटवार हल्का दीपपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 70, 71 रकबा 0.23 हैक्टर की नकल जमाबन्दी संवत 2072—2075 पेश की गई।

3- न्यायालय में पेश वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नियमानुसार जर्ये पंजीकृत डाक तलबी सम्मन जारी किये गये। वादी अभिभाषक द्वारा उक्त रजिस्टर्ड डाक की Track Report भी पेश की गई जिसमें Item Delivery

Confirmed होने के बावजूद आगामी 60 दिवस की अवधि में भी न्यायालय में उपस्थिति नहीं दिये जाने के कारण आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार सम्यक तामील की घोषणा होने पर आदेश 9 नियम 6'(क) सीपीसी के अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 15 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। एकपक्षीय कार्यवाही के फलस्वरूप जवाब दावा प्राप्त नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं किये गये। वादी की ओर से गवाह युवराज पुत्र स्व. रामगोपाल तथा सत्यनारायण पुत्र कालूलाल के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये गये जिसमें वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये वादपत्र की प्रार्थना अनुसार विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में पेश किये गये दस्तावेज पर वादी अभिभाषक द्वारा प्रदर्श डाले गये।

4- दौराने वाद, वादी अभिभाषक की प्रकरण पर एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम शंकरपुरा, पटवार हल्का दीपपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 70, 71 रकबा 0.23 हैक्टर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 14 के पूर्वजों की संयुक्त आराजी है, जिसका विभाजन नहीं होने तथा वादी के हिस्से का निर्धारण नहीं होने से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवाद होता रहता है। विधिक विभाजन के अभाव में उक्त संयुक्त आराजी में अपने हिस्से के आधार पर प्रतिवादीगण विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अतः विवादित आराजी का विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने के आदेश प्रदान किये जावे।

4- हमने वादी अभिभाषक की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 14 के पूर्वजों की गैरखातेदारी में दर्ज संयुक्त की आराजी है। वादीगण की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 188 के अन्तर्गत वाद पेश किया गया है जो इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में है तथा विवादित आराजी ग्राम शंकरपुरा, पटवार हल्का दीपपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित होने से यह वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। उक्त वाद निर्धारित न्यायशुल्क एक रूपया पर पेश किया गया है। अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अनुसार यह वाद अवधि मध्य प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त समस्त विवेचन से स्पष्ट है कि संयुक्त कृषि आराजी में उत्पन्न विवादों के समाधान के उद्देश्य से विवादित आराजी का विधिक विभाजन किया जाना न्यायसंगत एवं समीचीन होगा। ज्ञातव्य है कि विवादित आराजी वर्तमान में गैरखातेदारी की आराजी है, जिसका कानूनन किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। वादपत्र के साथ पेश की गई जमाबन्दी संवत 2072–2075 (प्रदर्श–1) की विवादित आराजी खसरा नम्बर 70, 71 रकबा 0.23 हैक्टर पक्षकारान के पूर्वज कल्याण, जगन्नाथ, राधाकिशन पिसरान देवा की गैरखातेदारी में दर्ज है। यह भी एक विधिसंगत तथ्य है कि गैर खातेदारी में दर्ज आराजी का विभाजन नहीं किया जा सकता है। अतः वादीगण विभाजन से पूर्व नियमानुसार खातेदारी अधिकार

प्राप्त करे तथापि वाद वादीगण आंशिक स्वीकार पक्षकारान के पूर्वजों (कल्याण, राधाकिशन, जगन्नाथ पुत्रान देवा) की गैरखातेदारी में दर्ज, ग्राम शंकरपुरा, पटवार हल्का दीपपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 70, 71 रकबा 0.23 हैक्टर में से वादी क्रम 1 लगायत 5 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 4 लगायत 9 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम–10 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम–11 का 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 12 लगायत 14 का 1/3 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

6- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 22.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बालकृष्ण तिवारी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (मु.), कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – बालकृष्ण तिवारी, R.A.S.

उनवान :–

1. युवराज पुत्र स्व. रामगोपाल
2–5. काली बाई, मनोहर बाई, भूरी बाई, सुशीला बाई पुत्रियाँ स्व. रामगोपाल जाति लोधा, निवासीगण ग्राम शंकरपुरा डडवाडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (वादीगण)

बनाम

1–3. शंकर, विष्णु, हनुमान पुत्रान चौथमल
4. रामप्रसाद पुत्र स्व. श्रीकिशन
5–9. शान्ति बाई, सन्जू बाई, छोटा बाई, मडी बाई, राजकान्ता पुत्रियाँ स्व. श्रीकिशन
10. भैरूलाल पुत्र स्व. राधेश्याम
11. कान्ती बाई पुत्री स्व. कल्याण
12–14. कन्हैयालाल, मनीष, मुकेश पुत्रान स्व. राधाकिशन
15. दुर्गाशंकर पुत्र बाबूलाल
16. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 53, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 44 / 20
निर्णय दिनांक : 22-03-2021

GCMS id : 2020 / 00069

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री रामरतन मीणा की उपस्थिति में वादपत्र की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 22–03–2021 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री बालकृष्ण तिवारी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर वाद वादीगण आंशिक स्वीकार पक्षकारान के पूर्वजों (कल्याण, राधाकिशन, जगन्नाथ पुत्रान देवा) की गैरखातेदारी में दर्ज, ग्राम शंकरपुरा, पटवार हल्का दीपपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 70, 71 रकबा 0.23 हैक्टर में से वादी क्रम 1 लगायत 5 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम 4 लगायत 9 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम–10 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी क्रम–11 का 1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 12 लगायत 14 का 1/3 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

* खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 12 फरवरी, 2021 को लिखवाया और टंकित करवाया जाकर न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(बालकृष्ण तिवारी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (मु.), कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

*वाद के खर्चे

वादी		रुपया	प्रतिवादी		रुपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति, पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदशों के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रुपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		